छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 182/2006

श्री सत्यनारायण तिवारी, **गंगानगर, झलमला,** **पोस्ट–झलमला, तहसील–बालोद,** **जिला–दुर्ग**	....	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, **कार्यपालन यंत्री,** **लोक निर्माण विभाग,** **बालोद संभाग,** **जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)** **2. अधीक्षण यंत्री,** **लोक निर्माण विभाग,** **दुर्ग संभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	....	**प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::
(13 जुलाई 2006)

श्री सत्यनारायण तिवारी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग के आदेश दिनांक 24–4–2006 से असंतुष्ट होकर आयोग में अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री सत्यनारायण तिवारी के द्वारा सूचना अधिकारी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बालोद से आवेदन पत्र दिनांक 8–2–2006 के द्वारा कतिपय जानकारी चाही थी, जो कि बालोद नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत गति–अवरोधक बनाने से संबंधित थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 9–3–2006 को आवेदक को जानकारी दी गई। उक्त जानकारी से असंतुष्ट होकर आवेदक ने अपने आवेदन दिनांक 13–3–2006 के द्वारा पूर्ण जानकारी बिन्दुवार दिये जाने की मांग की थी, जो कि उनसे प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में आवेदक ने अपीलीय अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आवेदक के आवेदन पत्र पर ही अपील शुल्क 50/– रूपए

जमा नहीं करने के कारण आवेदन अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने तर्क प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि उसने जनहित में जानकारी चाही थी और उसे उक्त जानकारी समय पर नहीं दी गई तथा अपील अधिकारी ने भी केवल अपीलीय शुल्क न दिये जाने के कारण बिना सुनवाई किये खारिज की, जबकि उन्हें अपील की फीस की जानकारी मुझे देना था, तब अपीलार्थी द्वारा अपीलीय शुल्क जमा कर दिया जाता। जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक को चाही गई जानकारी आवेदन पत्र दिनांक 08–02–2006 के संबंध में 09–03–2006 को जानकारी प्रदान की गई थी। आवेदक को पूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी, अतः आवेदक ने प्रथम अपील की। आवेदक को पूर्ण जानकारी सुनवाई के समय दिनांक 03–06–2006 को प्रदान कर दी गई है।

यह प्रशंसनीय है कि आवेदक के द्वारा जन सुरक्षा एवं जनहित की दृष्टि से सूचना मांगी गई। जन सामान्य की मांग पर एवं दुर्घटना को देखते हुए और दुर्घटना होने के फलस्वरूप बालोद संभाग में गतिअवरोधक बनाये गये। बनाये गये गतिअवरोधकों की सूची से भी स्पष्ट होता है कि गतिअवरोधक हास्पीटल एवं स्कूलों के पास बनाये गये हैं, जो कि निर्धारित मापदण्ड के ही अनुसार बनाया जाना चाहिए।

आवेदक को सभी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई है। यद्यपि पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने में कुछ विलम्ब हुआ है किन्तु यह विलम्ब जन सूचना अधिकारी के द्वारा दुर्भावनावश अथवा सूचना उपलब्ध न कराने के उद्देश्य से नहीं हुआ। जन सूचना अधिकारी ने अन्य स्थानों से भी जानकारी प्राप्त कर आवेदक को दी है। अतः जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड का औचित्य एवं आधार नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने केवल इस आधार पर की अपीलार्थी ने अपील शुल्क नहीं दिया अपील अस्वीकार कर दी यह आपत्तिजनक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अपील शुल्क की जानकारी देकर फीस जमा करने हेतु सूचित करना था, यदि इसके बाद भी अपीलार्थी फीस जमा नहीं करता तब अपीलीय अधिकारी को तद्नुसार आदेश पारित करना था। अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग–दुर्ग को सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न करें। साथ ही अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को लोक निर्माण विभाग द्वारा 500/–रूपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावे।

उक्त निर्देशों सहित अपील का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त